लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी चेतन देवड़ा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/03/2020 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 01.01.2020

श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा 197, थाना के सामने, वार्ड नं. 10, इंदिरा कॉलोनी, रावतभाटा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

दिनांक 21.01.2020

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 03/2020/(21.01)/04 दिनांक 01.01.2020 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.01.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 21.01.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 03 / 2019 (सू.अ.)
श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/11 दिनांक 14.01.2020 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थी श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197 थाना के सामने, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में 28.11.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के समस्त तथ्य मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2353 दिनांक 24.12.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 सहधारा 3 के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया है जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई है। (पत्र की प्रति संलग्न है)
3. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2353 दिनांक 24.12.2019 से अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर काई कार्यवाही की आवश्यकता नही रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/11 दिनांक 14.01.2020 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसारः–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या 03 / 2019 (सू.अ.)
श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी रावतभाटा बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.11.2019 से तीन बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत अपील इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 03 / 2020(सू.अ.) / 48 दिनांकः– 21 / 01 / 2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी 197, थाना के सामने, वार्ड नं. 10, इन्दिरा कॉलोनी, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:41:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: